न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 399/2021 तारीख रजू:– 24.11.2021

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

1. निशा पुत्री बलराम उर्फ बल्ला | जाति मीना निवासी खेडीशीश
2. गौरव पुत्र बलराम उर्फ बल्ला | तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली
3. राहुल पुत्र बलराम उर्फ बल्ला नाबालिग जरिये संरक्षिका माता रमेशी पत्नि बलराम जाति मीना निवासी खेडीशीश तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान———————————————————— सायलान

बनाम

1. बलराम उर्फ बल्ला | पिसरान रतन जाति मीना निवासी खेडीशीश
2. रामबच्चा उर्फ गोपीसहाय | तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली
3. रामप्रसाद
4. चेतराम

———————————— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट सायलान

2. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय दिनांक :– 22-7-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवानी दावा स्थायी निषेधाज्ञा मजबूत आधारों के साथ पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि सायल सं01 गैरसायल सं01 की पुत्री है तथा सायल सं02 व 3 गैरसायल सं01 के पुत्र है, सायलान व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गैरसायलान की पैत्रक आराजीयात हाल खसरा नम्बर 2187 में रकबा 0.09 है0, 2190 में रकबा 2.45 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.54 है0 ग्राम बरगमा तहसील श्रीमहावीरजी में स्थित है, उक्त भूमि में सायलान के पिता का हिस्सा 1/8 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। 2021

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 797 रकबा 0.25 है0, 803 रकबा 0.15 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम खेडीशीश तहसील श्रीमहावीरजी में दर्ज है, उक्त भूमि में सायलान के पिता गैरसायल सं01 का हिस्सा 1/16 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। —03

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 5 रकबा 0.07 है0, 92 रकबा 0.13 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम जहानाबाद तहसील श्रीमहावीरजी में दर्ज है, उक्त भूमि में सायलान के पिता गैरसायल सं01 का हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 107 रकबा 0.06 है0, 108 रकबा 0.03 है0, 109 रकबा 0.01 है0, 110 रकबा 0.02 है0, 116 रकबा 0.10 है0, 192 रकबा 0.08 है0, 206 रकबा 0.15 है0, 24 रकबा 0.21 है0, 26 रकबा 0.22 है0, 52 रकबा 0.13 है0, 54 रकबा 0.09 है0, 596 रकबा 0.30 है0, 696 रकबा 0.16 है0, 763 रकबा 0.10 है0, 800 रकबा 0.16 है0, कुल किता 18 कुल रकबा 2.27 है0 वाके ग्राम खेडीशीश तहसील श्रीमहावीरजी में दर्ज है, उक्त भूमि में सायलान के पिता गैरसायल सं01 का हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 1 रकबा 0.08 है0, 2 रकबा 0.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम जहानाबाद तहसील श्रीमहावीरजी में दर्ज है, उक्त भूमि में सायलान के पिता गैरसायल सं01 का हिस्सा 1/16 राजस्व रिकार्ड हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 102 रकबा 0.07 है0, 163 रकबा 0.11 है0, 179 रकबा 0.33 है0, 180/1098 रकबा 0.33 है0, 192/1097 रकबा 0.18 है0, 426 रकबा 0.01 है0,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

427 रकबा 0.08 है0, 6 रकबा 0.02 है0, 93 रकबा 0.08 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 1.21 है0 वाके ग्राम जहानाबाद तहसील श्रीमहावीरजी में दर्ज है, उक्त भूमि में सायलान के पिता गैरसायल सं01 का हिस्सा 1/16 राजस्व रिकार्ड हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि सायलान के पिता गैरसायल सं01 बलराम उर्फ बल्ला शराब, स्मैक, गांजा इत्यादि नशे का आदि है, जुआ व शट्टे भी लगाता है। गैरसायल सं02 ता 4 गैरसायल सं01 के सगे भाई हैं, जिन्होंने सायलान के पिता को नशा व शट्टे की लत लगा रखी है, सायलान के पिता को गैरसायल सं02 ता 4 ने अपने प्रभाव में ले रखा है, गैरसायल सं01, गैरसायल सं02 ता 4 के बहकावे में आकर सायलान की मारपीट करता रहता है, सायलान की पैत्रक भूमि गैरसायल सं01 के नाम खातेदारी में दर्ज है, उसका विक्रयनामा लिखवाकर गैरसायल सं02 ता 4 अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाना चाहते हैं। जिसका गैरसायलान को कोई कानूनी जबाव अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार सायलान का प्रथमदृष्टया केश बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि गैरसायलान ने सायलान के खिलाफ एक गिरोह बना रखा है, गांव से निकालने को आमादा है, गैरसायलान ने सायलान की काफी दफा मारपीट हुई है। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 628/2021 थाना सदर हिण्डौन अन्तर्गत धारा 141, 323,341,379 में दर्ज करा रखी है, जो जेरे तफ्तीश है।

प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं01 ने सायलान की उक्त पैत्रक आराजीयात को विक्रय कर दिया, गैरसायल सं02 ता 4 का कब्जा करा दिया, तो सायलान बर्बाद हो जायेंगे, उन्हें गांव छोडकर जाना पडेगा, सायलान भूखे मर जायेंगे, जिसकी पूर्ती दृव्य में भी सम्भव नहीं है, इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि गैरसायलान द्वारा सायलान को दी गई धमकी के अनुसार उनके कब्जे, हक व अधिकारी की बाहमी बंटवारा प्राप्त आराजी पर से सायलान को बेदखल कर, स्वंय का कब्जा कर,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

निर्माण कर, रहन बय कर दिया तो सायलान को ऐसी अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित होता है।

प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि उपरोक्त प्रकरण में सुविधा का सन्तुलतन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायलान विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार कर, गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि उक्त आराजीयात हाल खसरा नम्बर 2187 में रकबा 0.09 है0, 2190 में रकबा 2.45 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.54 है0 ग्राम बरगमा तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता का हिस्सा 1/8, खसरा नम्बर 797 रकबा 0.25 है0, 803 रकबा 0.15 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम खेडीशीश तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता गैरसायल सं01 का हिस्सा 1/16, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.07 है0, 92 रकबा 0.13 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम जहानाबाद तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता गैरसायल सं01 का हिस्सा 1/4, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.06 है0, 108 रकबा 0.03 है0, 109 रकबा 0.01 है0, 110 रकबा 0.02 है0, 116 रकबा 0.10 है0, 192 रकबा 0.08 है0, 206 रकबा 0.15 है0, 24 रकबा 0.21 है0, 26 रकबा 0.22 है0, 52 रकबा 0.13 है0, 54 रकबा 0.09 है0, 596 रकबा 0.30 है0, 696 रकबा 0.16 है0, 763 रकबा 0.10 है0, 800 रकबा 0.16 है0, कुल किता 18 कुल रकबा 2.27 है0 वाके ग्राम खेडीशीश तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता गैरसायल सं01 का हिस्सा 1/4, खसरा नम्बर 1 रकबा 0.08 है0, 2 रकबा 0.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम जहानाबाद तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता गैरसायल सं01 का हिस्सा 1/16,खसरा नम्बर 102 रकबा 0.07 है0, 163 रकबा 0.11 है0, 179 रकबा 0.33 है0, 180/1098 रकबा 0.33 है0, 192/1097 रकबा 0.18 है0, 426 रकबा 0.01 है0, 427 रकबा 0.08 है0, 6 रकबा 0.02 है0, 93 रकबा 0.08 है0, कुल किता 9 कुल रक़बा 1.21 है0 वाके ग्राम जहानाबाद तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता गैरसायल सं01 का हिस्सा 1/16 में सायलान के कब्जे काश्त व उपयोग

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

110 14/07/2021

उपभोग में बाधा मजाहमत ना तो स्वंय पैदा करें ना ही किसी अन्य से करावें, सायलान को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें तथा उक्त आराजीयात को गैरसायल सं01 किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय ना करें, ऐसा कोई कृत्य नहीं करें, जिससे सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 गलत है, अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 ता 12 गलत है, अस्वीकार हैं।

विशेष विंवरण :–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजीयात विवादग्रस्त से सायलान का कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है, सायलान एवं गैरसायलान मीना जाति के सदस्य हैं, जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसलिए विवादग्रस्त आराजीयात में बल्ला की जीवन काल में सायलान को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 2187, 2190 स्थित ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन प्रतिवादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड सैलडी से खरीद की गई स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिनसे सायलान का कोई सरोकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि सायलान का मौके पर आराजीयात पर कोई कब्जा काश्त नहीं है, इसलिए कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072–75, फोटो प्रति नकल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जमाबन्दी सं0 2073–76, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072–75, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072–75, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76, फोटो प्रति एफ.आई.आर नं0 628 दिनांक 26.10.2021 पेश की है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2187 में रकबा 0.09 है0, 2190 में रकबा 2.45 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.54 है0 ग्राम बरगमा तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता बल्ला पुत्र रतनलाल हिस्सा 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्सा के अन्य खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 797 रकबा 0.25 है0, 803 रकबा 0.15 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम खेडीशीश तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता बलराम पुत्र रतन हिस्सा 1/16 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्सा के अन्य खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 0.07 है0, 92 रकबा 0.13 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम जहानाबाद तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बलराम पुत्र रतन हिस्सा 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्सा के गैरसायल सं01 ता 3 खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 107 रकबा 0.06 है0, 108 रकबा 0.03 है0, 109 रकबा 0.01 है0, 110 रकबा 0.02 है0, 116 रकबा 0.10 है0, 192 रकबा 0.08 है0, 206 रकबा 0.15 है0, 24 रकबा 0.21 है0, 26 रकबा 0.22 है0, 52 रकबा 0.13 है0, 54 रकबा 0.09 है0, 596 रकबा 0.03 है0, 687 रकबा 0.31 है0, 695 रकबा 0.30 है0, 696 रकबा 0.16 है0, 763 रकबा 0.10 है0, 800 रकबा 0.16 है0, 801 रकबा 0.11 है0 कुल किता 18 कुल रकबा 2.27 है0 वाके ग्राम खेडीशीश तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता बलराम पुत्र रतन हिस्सा 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्सा के गैरसायल सं01 ता 3 खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 0.08 है0, 2 रकबा 0.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम जहानाबाद तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता बलराम पुत्र रतन हिस्सा 1/16 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्सा के अन्य खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 102 रकबा 0.07 है0, 163 रकबा 0.11 है0, 179 रकबा 0.33 है0, 180/1098 रकबा 0.33 है0, 192/1097 रकबा 0.18 है0, 426 रकबा 0.01 है0, 427 रकबा 0.08 है0, 6 रकबा 0.02 है0, 93 रकबा 0.08 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 1.21 है0 वाके ग्राम जहानाबाद तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता बलराम पुत्र रतन हिस्सा 1/16 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्सा के अन्य खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति एफ.आई.आर नं0 628 दिनांक 26.10.2021 के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 143,323,341,379 में श्रीमती रमेशी पत्नि बलराम उर्फ बल्ला जाति मीना निवासी खेडीशीश थाना सदर हिण्डौन ने जेरे इलाज सर्जिकल वार्ड बेड नं01 जीएच हिण्डौन सिटी में बयान लेने पर दर्ज हुई

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

है। श्रीमती रमेशी ने अपने बयाना में खेत में निडाई गुडाई की श्रीमती रमेशी के पुत्र व पुत्री निशा व राहुल के मना करने पर गैरसायलान बल्लाराम,रामप्रसाद, चेतराम, गोपीसहाय, राजाराम, भीम, मनीष, खेशीराम, शेरसिंह व औरतों भी साथ थी इन सभी ने एक राय होकर मारपीट की। जिसकी जॉच विचाराधीन होना वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि मुताविक राजस्व रिकार्ड विवादित आराजी खसरा नम्बर 2187 में रकबा 0.09 है0, 2190 में रकबा 2.45 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.54 है0 ग्राम बरगमा तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता बल्ला पुत्र रतनलाल हिस्सा 1/8, खसरा नम्बर 797 रकबा 0.25 है0, 803 रकबा 0.15 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम खेडीशीश तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता बलराम पुत्र रतन हिस्सा 1/16, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.07 है0, 92 रकबा 0.13 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम जहानाबाद तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता बलराम पुत्र रतन हिस्सा 1/4, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.06 है0, 108 रकबा 0.03 है0, 109 रकबा 0.01 है0, 110 रकबा 0.02 है0, 116 रकबा 0.10 है0, 192 रकबा 0.08 है0, 206 रकबा 0.15 है0, 24 रकबा 0.21 है0, 26 रकबा 0.22 है0, 52 रकबा 0.13 है0, 54 रकबा 0.09 है0, 596 रकबा 0.03 है0, 687 रकबा 0.31 है0, 695 रकबा 0.30 है0, 696 रकबा 0.16 है0, 763 रकबा 0.10 है0, 800 रकबा 0.16 है0, 801 रकबा 0.11 है0 कुल किता 18 कुल रकबा 2.27 है0 वाके ग्राम खेडीशीश तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता बलराम पुत्र रतन हिस्सा 1/4, खसरा नम्बर 1 रकबा 0.08 है0, 2 रकबा 0.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम जहानाबाद तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता बलराम पुत्र रतन हिस्सा 1/16 , खसरा नम्बर 102 रकबा 0.07 है0, 163 रकबा 0.11 है0, 179 रकबा 0.33 है0, 180/1098 रकबा 0.33 है0, 192/1097 रकबा 0.18 है0, 426 रकबा 0.01 है0, 427 रकबा 0.08 है0, 6 रकबा 0.02 है0, 93 रकबा 0.08 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 1.21 है0 वाके ग्राम जहानाबाद तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता बलराम पुत्र रतन हिस्सा 1/16 भाग का खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सायलान के पिता बल्ला उर्फ बलराम पुत्र रतन मीना उक्त विवादित आराजीयात में रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। सायलान, गैरसायल सं01 बल्ला उर्फ बलराम के पुत्र हैं जो जायज कानूनी वारिस हैं। गैरसायलान ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.09 है0, 2190 रकबा 2.45 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.54 है0 ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन को गैरसायलान ने जरिये रजिस्टर्ड शैलडीड खरीद की है। जिसके सम्बन्ध में गैरसायलान ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है तथा गैरसायलान ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि उक्त विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.09 है0, 2190 रकबा 2.45 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.54 है0 ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन को छोडकर शेष आराजीयात गैरसायलान की पैत्रक भूमि नहीं हो। सायलान के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराज़ीयात पैत्रक आराजीयात है। जिसमें सायलान अपने पिता बल्ला उर्फ बलराम के हिस्से की आराजीयात में हक रखते हैं। इस प्रकार गैरसायल सं01 उक्त विवादित पैत्रक आराजीयात से सायलान को उनके हिस्से की भूमि से कानूनन बेदखल नहीं कर सकते हैं। गैरसायल सं01 को विरासत में प्राप्त हुई आराजीयात में सायलान का भी हिस्सा निहित है। कानूनन विरासत की आराजीयात में जन्म से ही बच्चों को अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। गैरसायल सं.1 ता 4 व उनके अन्य वारिसान के द्वारा सायलान व उनकी मॉ रमेशी के साथ उक्त विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में दिनांक 26.10.2021 को मारपीट किया जाना एफ.आई.आर. नं0 628/2021 के अवलोकन से स्पष्ट है। गैरसायल सं01 अपने नाम खातेदारी होने के कारण उक्त विवादित आराजीयात से सायलान को बेदखल करना सही प्रतीत नहीं होता है। गैरसायल सं01 के हिस्से के उक्त विवादित आराजीयात पर सायलान का कब्जा काश्त होना सही प्रतीत होता है। गैरसायलान के द्वारा सायलान के कब्जा काश्त में मजाहमत मदाखलत पैदा किये जाने के उपरान्त ही सायलान ने यह दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश किया गया है। इस प्रकार सायलान का पृथम दृष्टया केस,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूरी पूरी सम्भावना है और यदि गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द कर दिया जाता है तो उससे गैरसायलान को कोई क्षति होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2187 में रकबा 0.09 है0, 2190 में रकबा 2.45 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.54 है0 ग्राम बरगमा तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता बल्ला पुत्र रतनलाल हिस्सा 1/8, खसरा नम्बर 797 रकबा 0.25 है0, 803 रकबा 0.15 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम खेडीशीश तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता बलराम पुत्र रतन हिस्सा 1/16, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.07 है0, 92 रकबा 0.13 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम जहानाबाद तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता बलराम पुत्र रतन हिस्सा 1/4, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.06 है0, 108 रकबा 0.03 है0, 109 रकबा 0.01 है0, 110 रकबा 0.02 है0, 116 रकबा 0.10 है0, 192 रकबा 0.08 है0, 206 रकबा 0.15 है0, 24 रकबा 0.21 है0, 26 रकबा 0.22 है0, 52 रकबा 0.13 है0, 54 रकबा 0.09 है0, 596 रकबा 0.03 है0, 687 रकबा 0.31 है0, 695 रकबा 0.30 है0, 696 रकबा 0.16 है0, 763 रकबा 0.10 है0, 800 रकबा 0.16 है0, 801 रकबा 0.11 है0 कुल किता 18 कुल रकबा 2.27 है0 वाके ग्राम खेडीशीश तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता बलराम पुत्र रतन हिस्सा 1/4, खसरा नम्बर 1 रकबा 0.08 है0, 2 रकबा 0.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम जहानाबाद तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता बलराम पुत्र रतन हिस्सा 1/16 , खसरा नम्बर 102 रकबा 0.07 है0, 163 रकबा 0.11 है0, 179 रकबा 0.33 है0, 180/1098 रकबा 0.33 है0,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

192/1097 रकबा 0.18 है0, 426 रकबा 0.01 है0, 427 रकबा 0.08 है0, 6 रकबा 0.02 है0, 93 रकबा 0.08 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 1.21 है0 वाके ग्राम जहानाबाद तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान के पिता बलराम पुत्र रतन हिस्सा 1/16 भाग के रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। सायलान को गैरसायल सं01 के हिस्से की खातेदारी की उक्त विवादित आराजीयात से बेंदखल कर स्वंय कब्जा नहीं करें और ना ही किसी अन्य से करावें। उक्त विवादित आराजीयात में गैरसायल सं01अपने हिस्से की भूमि को किसी भी व्यक्ति के हक में किसी भी प्रकार से रहन विकय नहीं करे। गैरसायलान ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे सांयलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 27-7-22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली